ए.

अशोक जी. रजनी

वी.

बीकॉन ट्रस्टिशिप लिमिटेड और ओआरएस। (2021 की सिविल अपील संख्या 4911) 22 सितंबर, 2022

बी.

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-एस. 7, 12 ए, 62-निगमित देनदार और प्रत्यर्थी सं. के बीच मध्यस्थता कार्यवाही। 1 से 3 लंबित थे-उत्तरदाता संख्या।1 3 दायर किए गए आवेदन यू/एस।7 एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. के संबंध में मध्यस्थ ने निर्णय पारित कर कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान करने का निर्देश दिया-पक्ष एक समझौते पर पहुंचे-एन. सी. एल. ए. टी. ने समझौते पर विचार करते हुए प्रकाशन के यू/एस. पर अंतरिम रोक लगा दी।13 आई. बी. सी.-दलों ने यू/एस. आवेदन दायर किया।12 आई. आर. पी. की सहमति से एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. का ए. और वही लंबित था-हालांकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. ओ. सी. के गठन पर रोक लगाते हुए आई. आर. पी. को प्रकाशन जारी करने और सभी संपत्तियों को सौंपने और सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, भले ही पक्षकारों के बीच मामला सुलझा लिया गया था-अपील पर कहा गयाःआई. बी. सी. की धारा 12 ए स्पष्ट रूप से आवेदन को वापस लेने की अनुमति देती है।7 आई. बी. सी. जो आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर स्वीकार किया गया है-लेनदारों की समिति के गठन से पहले, आवेदक द्वारा यू/एस द्वारा स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने पर कोई रोक नहीं है।7 आई. बी. सी.-तीसरे व्यक्ति से निगमित देनदार के खिलाफ दावों की प्रत्याशा में सी. ओ. सी. के गठन से पहले निपटान को दबाया नहीं जा सकता है-ऐसा कोई कारण नहीं है कि सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदक को विवादों के निपटारे के बाद अपने आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए-एन. सी. एल. टी. ने निपटान आवेदन को लेने का निर्देश दिया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः**1.** आई. बी. सी. की धारा **12** ए स्पष्ट रूप से आई. बी. सी. की धारा **7** के तहत एक आवेदन को वापस लेने की अनुमति देती है जिसे आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर स्वीकार किया गया है।मतों के अपेक्षित प्रतिशत के आधार पर ऋणदाताओं की समिति की मंजूरी का सवाल केवल ऋणदाताओं की समिति के गठन के बाद ही उठ सकता है।लेनदारों की समिति के गठन से पहले,

जी.

एच.

133 ए.

134 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

आई. बी. सी. की धारा **7** के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को आवेदक द्वारा वापस लेने पर कोई रोक नहीं है। **[**पैरा **24] [139-**डी-ई**]**

2. आई. बी. सी. का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है, उद्यमिता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों का संतुलन जिसमें सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन और भारतीय दिवालिया और दिवालिया बोर्ड की स्थापना और उससे या उससे जुड़े मामले शामिल हैं।दिवाला और दिवालियापन के समय पर समाधान के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करेगा, उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा, व्यवसाय में सुधार करेगा और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास होगा।**[**पैरा **26** और **27] [139-**एच**; 140-**ए-सी**]**

बी.

सी.

डी.

3. एन. सी. एल. टी. नियमों के सांविधिक नियम **11** के साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ने से एन. सी. एल. टी. न्याय के उद्देश्यों के लिए आदेश पारित करने में सक्षम हो जाता है, जिसमें सी. आई. आर. पी. के लिए एक आवेदक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति देने का आदेश और एक निगमित निकाय को किसी भी बाधा के बिना आसानी से व्यवसाय करने में सक्षम बनाना शामिल है।निगमित देनदार द्वारा किए गए

निवेशों को ध्यान में रखते हुए और अपने अस्तित्व और आजीविका के लिए निगमित देनदार पर निर्भर लोगों की संख्या को देखते हुए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदक को अपने विवादों के निपटारे के बाद अपने आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।**[**पैरा **28** और **29] [140-**सी-ई**]**

ई.

एफ.

4. कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ तीसरे व्यक्ति के दावों की प्रत्याशा में लेनदारों की समिति के गठन से पहले समझौते को दबाया नहीं जा सकता है।आवेदक द्वारा सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन वापस लेने से किसी अन्य वित्तीय लेनदार को आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही का सहारा लेने से नहीं रोका जा सकेगा। समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा का पालन करने की तात्कालिकता समझौते को दबाने का कारण नहीं है।**[**पैरा **30] [140-**ई-एफ**]** ए

जी.

एच.

135

अशोक जी. रजनी बनाम बीकॉन ट्रस्टिशिप लिमिटेड और ओआरएस।

5. आई. बी. सी. की धारा **12** ए के तहत निपटान के लिए आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन. सी. एल. टी.**)** के समक्ष लंबित है।एन. सी. एल. ए. टी. ने ऋणदाताओं की समिति के गठन पर रोक लगा दी है।आक्षेपित आदेश केवल एक अंतरिम आदेश है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।आई. बी. सी. की धारा **62** के तहत एक अपील में, कानून का कोई सवाल नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारण की आवश्यकता हो। तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।एन. सी. एल. टी. को निपटान आवेदन लेने और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।**[**पैरा **32] [142-**बी-सी**]**

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2021 की सिविल अपील संख्या 4911।

सी.

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 18.08.2021 के निर्णय और आदेश से, 2021 की कंपनी अपील (AT) (INS) No.598 में नई दिल्ली की प्रधान पीठ।

मुकुल रोहतगी, हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अभिजीत सिन्हा, पुनीत जैन, हर्ष जैन, हर्षित खांडुजा, सुश्री याशिका शर्मा, सुश्री क्रिस्टी जैन, रवि रघुनाथ, सुश्री रथिना मारवर्मन, सुश्री आकाशी लोढ़ा, सन्यत लोढ़ा, महेश अग्रवाल, हिमांशु सतीजा, दिव्यांग चंडीरमानी, सुश्री कोमल खुशालानी, शादाब एस. जान, सुश्री प्रेरणा वाघ, यश टेंबे, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

इंदिरा बनर्जी, जे.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई. बी. सी.) की धारा 62 के तहत यह अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.), नई दिल्ली की प्रधान पीठ द्वारा 18 अगस्त 2021 को कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 598 2021 में पारित एक अंतरिम आदेश के खिलाफ है, जो अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसके तहत एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील का नोटिस जारी किया था, लेकिन अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) को मेसर्स सेया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद "कॉर्पोरेट ऋणदाता" के रूप में संदर्भित किया गया है) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोका था।हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने आई. आर. पी. को सुनवाई की अगली तारीख तक लेनदारों की समिति (सी. ओ. सी.) का गठन करने से रोक दिया।इस बीच, अपीलार्थी और प्रत्यर्थीगण को नियम 11 के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 12 ए के संदर्भ में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष अपने विवादों को निपटाने का अवसर दिया गया था।

एफ.

जी.

एच.

ए.

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 (एन. सी. एल. टी. नियम)।अपील को 13 सितंबर 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।
2.अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 का पूर्व निदेशक है, जो कि निगमित देनदार है।कंपनी

अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी कॉर्पोरेट डेटर 1990 से बेंजीन आधारित स्पेशलिटी केमिकल्स के निर्माण का व्यवसाय कर रही है।यह कहा गया है कि कॉर्पोरेट देनदार ने अपनी मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं में लगभग 1 करोड़ रुपये का निवेश किया था और स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए एक एकीकृत ग्रीनफील्ड मेगा परियोजना में लगभग 2 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

बी.

3. अपीलार्थी के अनुसार, निगमित ऋणदाता अपने वेतन पर लगभग 150 श्रमिकों, 40 अकुशल श्रमिकों और 75 कर्मचारियों के लिए आजीविका का स्रोत है और 200 से अधिक ग्राहकों/विक्रेताओं के साथ जुड़ा हुआ है।यह दावा किया जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार की कुल संपत्ति रु। 972 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति।

सी.

4. तारापुर, पालघर (महाराष्ट्र) में अपने रासायनिक विनिर्माण संयंत्र का विस्तार करने के लिए, कॉर्पोरेट ऋणदाता ने पूंजी जुटाई और प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड (जिसे इसके बाद "बीकन ट्रस्टीशिप" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। उक्त एकीकृत ग्रीनफील्ड मेगा परियोजना में 100 करोड़ रुपये, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सी. सी. पी. एस.) के रूप में। 80 करोड़, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एन. सी. डी.) के माध्यम से।इसके बाद अपीलार्थी, निगमित ऋणदाता और प्रत्यर्थी-बीकन ट्रस्टीशिप ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त एन. सी. डी. जारी करने के नियमों और शर्तों को दर्ज करते हुए एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड (डी. टी. डी.) निष्पादित किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 को डी. टी. डी. में दर्ज डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त किया गया था। डी. टी. डी. ने एन. सी. डी. के प्रति निगमित ऋणदाता के दायित्वों को निर्धारित किया।

डी.

ई.

एफ.

5. 11 मार्च 2019 को या उसके आसपास, बीकन ट्रस्टीशिप ने 360 सीरीज ए डिबेंचर और 360 सीरीज बी डिबेंचर ("पहली किश्त डिबेंचर") की सदस्यता के लिए Rs.72,00,00,000-(72 करोड़ रुपये) की राशि जारी की।उपरोक्त राशि कंपनी के क्षमता विस्तार में निवेश की जानी थी और इसलिए नकदी प्रवाह के रूप में उपलब्ध नहीं थी।पहली किश्त के लिए ब्याज की सेवा रुपये की दूसरी किश्त में से पूरी की जानी थी। बीकन ट्रस्टीशिप द्वारा 8 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा जिससे उसी के लिए नकदी प्रवाह पैदा होता और शेष राशि ए

जी.

एच.

137

अशोक जी. रजनी बनाम बीकॉन ट्रस्टिशिप लिमिटेड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

कैपेक्स निवेश के लिए निवेश किया जाना था।हालांकि, बीकन ट्रस्टीशिप ने रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान करने में चूक की। 8 करोड़।6. 8 मार्च 2019 के डी. टी. डी. के अलावा, पक्षों ने ब्याज भुगतान तिथियों के लिए समय सीमा और अनुसूची सहित डी. टी. डी. में निर्धारित कुछ शर्तों को संशोधित करते हुए 14 मार्च 2019 को एक पूरक विलेख में प्रवेश किया।

बी.

7. 31 मई 2019 को, कॉर्पोरेट देनदार ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को एक ईमेल भेजा, जिसमें डी. टी. डी. के संदर्भ में 8 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त के भुगतान का अनुरोध किया गया। कॉरपोरेट देनदार ने प्रत्यर्थी Nos.1 को 3 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान करने के लिए भी नोटिस जारी किया। 8 करोड़।

सी.

8. 12 सितंबर 2019 को, कॉर्पोरेट देनदार ने अन्य प्रत्यर्थीगणओं के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा लिया।बीकन ट्रस्टीशिप ने कॉर्पोरेट ऋणदाता को रुपये की ब्याज राशि का भुगतान न करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया।बीकन ट्रस्टीशिप ने एक प्रवर्तन सूचना भी जारी की जिसमें पूर्ण निवेश राशि यानी Rs.77,94,92,513 के भुगतान में तेजी लाई गई है, जो कि रुपये 2,18,95,890.41-ब्याज कूपन राशि का भुगतान न करने के कारण 17 अक्टूबर 2019 को देय है।

डी.

9. 18 अक्टूबर 2019 को, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 ने शेयर प्रतिज्ञा समझौते के खंड 6.1 को लागू किया और प्रत्यर्थीगणओं के डी. ई. एम. ए. टी. खाते (खातों) में 91.78 करोड़ रुपये के 26.60 लाख शेयरों को हस्तांतरित किया।

ई.

10. 18 से 20 अक्टूबर 2019 के बीच, कॉर्पोरेट ऋणदाता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की।जबकि मध्यस्थ कार्यवाही, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने स्वयं सहमति व्यक्त की थी और सहमति दी थी, लंबित थी, उन्होंने राष्ट्रीय कंपनी विधि

न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.), मुंबई पीठ के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया।

एफ.

11. 15 जनवरी 2020 को, कॉर्पोरेट देनदार ने अपने नुकसान और नुकसान के लिए कुल मिलाकर Rs.848,75,30,000 के लिए एक पुरस्कार की मांग करते हुए अपने दावे का बयान दायर किया।

जी.

12. 26 फरवरी 2020 को, प्रत्यर्थीगण ने अपने दावे की राशि Rs.73,56,59,238-के भुगतान के लिए एक पुरस्कार की मांग करते हुए बचाव और जवाबी दावे का बयान दायर किया।

एच.

13. 24 मार्च 2021 को, मध्यस्थ ने बीकन ट्रस्टीशिप और अन्य प्रत्यर्थीगणओं के पक्ष में एक अंतरिम पुरस्कार पारित किया और कॉर्पोरेट ऋणदाता को ब्याज के साथ Rs.72,06,99,244 का भुगतान करने का निर्देश दिया।

14. 21 अप्रैल 2021 को, मध्यस्थ के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता और कॉर्पोरेट ऋणदाता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक मध्यस्थता याचिका दायर की, जो अभी भी लंबित है।

बी.

15. एन. सी. एल. टी., मुंबई पीठ ने मामले की सुनवाई की और 13 मई 2021 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।1 जुलाई 2021 को, कॉर्पोरेट देनदार और प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 ने एन. सी. एल. टी., मुंबई पीठ के समक्ष एक संयुक्त आवेदन दायर किया जिसमें आदेश को स्थगित करने का अनुरोध किया गया क्योंकि पक्षकार एक समझौते पर पहुंचने की प्रक्रिया में थे और उन्होंने 10 जुलाई 2021 तक का समय मांगा।

सी.

16. 12 जुलाई 2021 को, कॉर्पोरेट देनदार और प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 ने फिर से एन. सी. एल. टी., मुंबई पीठ के समक्ष एक संयुक्त आवेदन दायर किया, जिसमें समझौते पर

पहुंचने के लिए 23 जुलाई 2021 तक और समय मांगा गया।इसके बाद, 26 जुलाई 2021 को, उन्होंने फिर से 12 अगस्त 2021 तक निपटान के लिए समय मांगा।

डी.

17. 3 अगस्त 2021 को, एन. सी. एल. टी., मुंबई पीठ ने एक समझौते पर पहुंचने के लिए आदेशों को और स्थगित करने के पक्षों के अनुरोध को खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन को स्वीकार किया और अनुमति दी।18. एन. सी. एल. टी., मुंबई पीठ द्वारा 3 अगस्त 2021 को पारित आदेश से व्यथित होकर, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन को स्वीकार करते हुए और अनुमति देते हुए, अपीलकर्ता जो कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक हैं, ने एन. सी. एल. ए. टी., नई दिल्ली में 2022 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 598 के रूप में एक अपील दायर की।

ई.

एफ.

19. 8 अगस्त 2021 को, पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों का निपटारा किया और एक औपचारिक समझौता किया, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक ए-25 के रूप में पेपर बुक के साथ संलग्न है।

20. 10 अगस्त 2021 को, एनसीएलएटी ने पक्षों के बीच हुए समझौते पर विचार करते हुए, आईबीसी की धारा 13 के तहत प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगा दी और आगे पक्षकारों को आईबीसी की धारा 12 ए के तहत प्रक्रिया अपनाने की स्वतंत्रता दी।

जी.

एच.

21. 12 अगस्त 2021 को, पार्टियों ने आई. आर. पी. की सहमति से एन. सी. एल. टी., मुंबई के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 12 ए के तहत एक आवेदन दायर किया।हालाँकि, आज तक इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

22. 18 अगस्त 2021 को, एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. ओ. सी. के गठन पर रोक लगा दी, लेकिन एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 11 के तहत समझौते को रिकॉर्ड में लेने और मामले का निपटारा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, एन. सी. एल. ए. टी. ने आई. आर. पी. को प्रकाशन जारी करने और सभी

संपत्तियों को सौंपने और सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, भले ही मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया था।एन. सी. एल. ए. टी. के 18 अगस्त 2021 के आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी ने वर्तमान दीवानी अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

23. आई. बी. सी. की धारा 12 ए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को लेनदारों की समिति के 90 प्रतिशत मतदान शेयरों के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति देने में सक्षम बनाती है।

डी.

24. आई. बी. सी. की धारा 12 ए स्पष्ट रूप से आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन को वापस लेने की अनुमति देती है जिसे आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर स्वीकार किया गया है।आवश्यक प्रतिशत मतों से ऋणदाताओं की समिति की मंजूरी का सवाल, ऋणदाताओं की समिति के गठन के बाद ही उठ सकता है।लेनदारों की समिति के गठन से पहले, हमारे विचार में, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को आवेदक द्वारा वापस लेने पर कोई रोक नहीं है।

ई.

25. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियम, 2016 बनाया है, जिसे इसके बाद "एन. सी. एल. टी. नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है।एन. सी. एल. टी. नियमों का नियम 11 इस प्रकार हैः-

एफ.

“11. अंतर्निहित शक्तियाँ।- इन नियमों में कुछ भी न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या न्यायाधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो।”

जी.

26. जैसा कि अपने उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है, आई. बी. सी. का उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और कंपनियों के पुनर्गठन और दिवालिया होने के समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।

एच.

ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध तरीके से व्यक्ति, जिसमें सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना और उससे या उससे जुड़े मामले शामिल हैं।

बी.

27. बयान में कहा गया है कि दिवाला और दिवालियापन के समय पर समाधान के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करेगा, उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा, व्यवसाय में सुधार करेगा और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास होगा।

सी.

28. एन. सी. एल. टी. नियमों के सांविधिक नियम 11 के साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ने से एन. सी. एल. टी. न्याय के उद्देश्यों के लिए आदेश पारित करने में सक्षम हो जाता है, जिसमें सी. आई. आर. पी. के लिए एक आवेदक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति देने का आदेश और एक निगमित निकाय को आसानी से, किसी भी बाधा के बिना व्यवसाय करने में सक्षम बनाना शामिल है।

डी.

29. निगमित देनदार द्वारा किए गए निवेशों को ध्यान में रखते हुए और अपने अस्तित्व और आजीविका के लिए निगमित देनदार पर निर्भर लोगों की संख्या को देखते हुए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदक को अपने विवादों के निपटारे के बाद अपने आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ई.

30. कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ तीसरे व्यक्ति के दावों की प्रत्याशा में लेनदारों की समिति के गठन से पहले समझौते को दबाया नहीं जा सकता है।आवेदक द्वारा सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन वापस लेने से किसी अन्य वित्तीय लेनदार को आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही का सहारा लेने से नहीं रोका जा सकेगा। समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा का पालन करने की तात्कालिकता समझौते को दबाने का कारण नहीं है।

एफ.

31. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने 25 अगस्त 2021 के एक आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसे 2021 की सिविल अपील संख्या 4993 में एस. अब्दुल नज़ीर और जे. जे. कृष्ण मुरारी की समन्वय पीठ द्वारा पारित किया गया था, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः

जी.

" (3) हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।यह विवाद में नहीं है कि अभी तक सी. ओ. सी. का गठन नहीं किया गया है।स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम में यह न्यायालय।

एच.

141

अशोक जी. रजनी बनाम बीकॉन ट्रस्टिशिप लिमिटेड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

भारत संघ और अन्य-(2019) 4 एस. सी. सी. 17 ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी स्तर पर, लेनदारों की समिति के गठन से पहले, एक पक्ष सीधे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) से संपर्क कर सकता है और यह कि न्यायाधिकरण, एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निकासी या निपटान के लिए एक आवेदन की अनुमति या अस्वीकृति दे सकता है।यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

बी.

82. यह स्पष्ट है कि एक बार धारा 7 से 9 के तहत किसी लेनदार की याचिका को स्वीकार करने के बाद संहिता लागू हो जाती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष जो कार्यवाही होती है, वह एक सामूहिक कार्यवाही होने के नाते, आर. ई. एम. में एक कार्यवाही है।आर. ई. एम. में एक कार्यवाही होने के कारण, यह आवश्यक है कि किसी भी व्यक्तिगत निगमित देनदार को अपने दावे का निपटान करने की अनुमति देने से पहले समाधान प्रक्रिया की देखरेख करने वाले निकाय से परामर्श किया जाना चाहिए।एक सवाल उठता है कि लेनदारों की समिति के गठन से पहले क्या होना है (निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार, अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी भी समय लेनदारों की समिति नियुक्त की जा सकती है)।हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी स्तर पर जहां अभी तक लेनदारों की समिति का गठन नहीं किया गया है, एक पक्ष सीधे एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर सकता है, जो न्यायाधिकरण, एन. सी. एल. टी. नियम, 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निकासी या निपटान के लिए एक आवेदन की

अनुमति या अस्वीकृति दे सकता है।सभी संबंधित पक्षों को सुनने और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

(बल दिया गया**)**

(4) तत्काल मामले में, जैसा कि पहले देखा गया है, आवेदक-प्रत्यर्थी नं।1 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई. बी. सी.) की धारा 9 के तहत दायर कंपनी याचिका को वापस लेने के लिए एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 11 के तहत एन. सी. एल. टी., मुंबई पीठ के समक्ष इस आधार पर आवेदन किया गया था कि मामला कॉर्पोरेट देनदार और आवेदक-प्रतिवादी नं.1.

जी.

एच.

(5) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि आवेदक-प्रतिवादी नं।1 कंपनी की याचिका को वापस लेने के लिए एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 11 के तहत इस आधार पर आवेदन दायर करना उचित था कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है।"

बी.

32. आई. बी. सी. की धारा 12 ए के तहत निपटान के लिए आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष लंबित है।एन. सी. एल. ए. टी. ने लेनदारों की समिति के गठन पर रोक लगा दी है।आक्षेपित आदेश केवल एक अंतरिम आदेश है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।आई. बी. सी. की धारा 62 के तहत एक अपील में, कानून का कोई सवाल नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारण की आवश्यकता हो। तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।एन. सी. एल. टी. को निपटान आवेदन लेने और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

सी.

याचिका खारिज कर दी गई।

डी.

(सहायकः राहुल कुमार, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.